



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 11 नि० गो० वि० (01)-29/2017

दिनांक - 2018

आदेश

श्री रामकुमार ठाकुर, प्रयोगशाला परिचर, कार्यालय पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार, पटना, द्वारा श्रीमती निभा सिन्हा, लिपिक, कार्यालय, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार पटना के विरुद्ध लाये गये परिवाद के आलोक में निदेशालय के पत्रांक-7252 (नि०) दिनांक-19.12.2017 द्वारा निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार, पटना से संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. उक्त आलोक में निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार, पटना ने अपने कार्यालय के पत्रांक-661 दिनांक - 20.03.2018 द्वारा मंतव्य सहित श्रीमती निभा सिन्हा, लिपिक से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक - 14.03.2018 मूल रूप में संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्रांक-661 दिनांक-20.03.2018 के द्वारा मंतव्य सहित प्राप्त संबंधित लिपिक के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्रीमती निभा सिन्हा, लिपिक, कार्यालय पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को अनुशासनिक प्राधिकार, निदेशक, पशुपालन द्वारा चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में श्रीमती सिन्हा को भविष्य में अपने कार्य के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी दी जाती है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

निदेशक, पशुपालन।

पत्रांक - 11 नि० गो० वि० (01)-29/2017 1209 (18) पटना-15, दिनांक - 13/04/2018

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को उनके पत्रांक - 661 दिनांक-20.03.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उनके संदर्भ संख्या - 00001-05121701228 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी (अ०नि०)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9043706
13/4/18

अवर सचिव कोषांग
पत्र संख्या 88/4
दिनांक 13/4/18
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

16/04/18

प्रतिलिपि श्रीमती निभा सिन्हा, लिपिक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री रामकुमार ठाकुर प्रयोगशाला परिघर, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Q. 14/18

निदेशक, पशुपालन।

पशुपालन विभाग
पटना